COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

39

CF 15/-

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनरीक्षण प्र0क्र0 /05

R 1851-I/05

श्री ...... द्वारा आज दि० 31.10.05 को प्रस्तुत।

सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

31 OCT 2005

रमेश पुत्र सीताराम कुशवाह
निवासी नरवर तहसील नरवर
जिला शिवपुरी म0प्र0 -- आवेदक

विरुद्ध

1- करनसिंह पुत्र सीताराम
2- छोटे लाल पुत्र सीताराम
3- पुनियां बेवा सीताराम
4- चंदनसिंह पुत्र सीताराम
समस्त निवासीगण नरवर तहसील
नरवर जिला- शिवपुरी म0प्र0
-- अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-10-05 के विरुद्ध म0प्र0 भू॰रा॰ संहिता 1959 कीधारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ॰

31-10-05

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है:-

मामले के संक्षिप्त तथ्य॰

1- यह कि विवादित भूमि सर्वे न0 781/2 मि॰ एवं 782 जो कि आवेक एवं अनावेदकगणों के शामिल खाते की भूमि थी । जिसका उभय पक्षों के मध्य तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ-27/02-03 का प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 30-9-03 द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया किसी के द्वारा बटवारे के समय कोई आपत्ति नहीं की । फर्दों का प्रकाशन किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गयी किन्तु उन पर सहमति होने के आधार पर आदेश पारित किया गया ।

2/--

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1851–एक/05 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–07–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्र0 79/04–05/अपील में पारित आदेश दिनांक 10.10.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरवर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 781/2 मि0 एवं 782 का उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमती से तहसीलदार नरवर के न्यायालय में दिनांक 30.09.03 को बटवारा का आदेश पारित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जो प्र0क्र0 45/2003–04/अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 02.04.2004 को अनावेदक की अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश दिनांक 02.04.2004 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में पेश की गई । विधिवत प्रकरण क्रमांक 79/2004–05/अपील पर दर्ज किया गया तथा आदेश दिनांक 10.10.2005 को अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश	

को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 10.10.2005 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि तहसीलदार नरवर द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुये फर्दों का प्रकाशन किया गया तथा आपत्तियां आमंत्रित की गई। किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्तियां नहीं होने के आधार पर सहमति से आदेश पारित किया । अब ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण में सारी वैधानिकतायें पूरी की गई थी तब प्रकरण में पारित आदेश अपास्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई । विचारण न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति एवं कब्जे के आधार पर आदेश पारित किया था । क्योंकि इसी विवादित भूमि पर दोनों पक्षों के मकान बने हुये है । अतः ऐसी स्थिति कब्जे के अनुसार एवं पक्षों की सहमति पर जो आदेश पारित किया था, विधिवत होकर स्थिर रखने योग्य था । उन्होंने यह अपने तर्क में यह भी बताया है कि सहमति के आधार पर जो आदेश पारित किया जाता है वह अपीलीय आदेश नहीं होता है, क्योंकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार ऐसा आदेश अपील योग्य ही नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष की बटवारा सूची का प्रकाशन किये बिना ही सीधे आदेश पारित किया गया । यह कहना नितांत अवैध और अनुचित है और अभिलेख के विपरीत है । क्योंकि बटवारा सूची का प्रकाशन किया एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

अतः ऐसी स्थिति में यह कहना कि बटवारा सूची के प्रकाशन के बाद सीधे आदेश पारित किया है । यह अनुचित नहीं है । किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये प्रकरण का प्रत्यावर्तन किया जाना नितांत अवैध और अनुचित है । अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाये और प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक रमेश द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा इश्तहार जारी किया जाकर आपत्तियां आहूत की गई और दिनांक 24.09.2003 को पटवारी द्वारा बटवारा सूची प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण सीधे ही आदेश हेतु नियत कर दिया गया । प्रकरण के संलग्न फर्द बटवारा के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि फर्द बटवारा न तो अनावेदक की उपस्थिति में बनाया गया है और न ही उस पर अनावेदक की सहमति के हस्ताक्षर ही अंकित है । ऐसी स्थिति में बटवारा सूची का प्रकाशन आवश्यक हो जाता है । किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा सूची का प्रकाशन किए बिना ही सीधे ही बटवारा आदेश पारित कर दिया है ।

6/ बटवारा सूची के अवलोकन से यह तथ्य भी

प्रमाणित है कि रमेश को सर्वे क्र0 781 किन0 का रकबा 0.17 दिया गया है जबकि अनावेदक को सर्वे क्र0 782 के साथ–साथ सर्वे क्र0 781 का रकबा 0.01 भी दिया गया है । 0.01 का रकबा इतना कम है कि यह अनुपयोगी हो जाता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी करैना ने तथ्यों को जाने एवं समझे बगैर ही आलोच्य आदेश पारित किया है जिसका भी कोई औचित्य नहीं है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा निर्देशों के साथ प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का जो आदेश पारित किया है वह उचित है । इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2003 एवं अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2004 स्थिर रखने योग्य न होने से अपास्त किया जाता है, एवं अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश 10.10.05 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निरगानी खारिज की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य